

इसे वेबसाइट www.govtressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 274]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 30 जून 2021—आषाढ़ 9, शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 जून 2021

क्र. एफ-ए-6-63-2020-1-पांच-(40).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 20 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ ए-6-63-2020-1-पांच (87) भोपाल दिनांक 29 दिसम्बर 2020 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचनाओं में अंक एवं शब्द “30 जून 2021” के स्थान अंक एवं शब्द “30 अक्टूबर, 2021” प्रतिस्थापित किये जाएं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 जून 2021

क्र. एफ-ए-6-63-2020-1-पांच-(40).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय का शुद्धिपत्र क्रमांक एफ-ए-6-63-2020-1-पांच-(40), दिनांक 30 जून 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 30th June 2021

No. F-A-6-63-2020-1-V (40).—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 20 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government hereby, makes the following further amendment in this department's notification No. F A-6-63-2020-1-V(87) dated 29 December 2020 namely:—

AMENDMENT

In the said notifications, for the word and figure “30th June 2021”, the word and figure “30th October, 2021” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.